न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.24 / 2020 दिनांक 30.7.2020

सरकार बनाम जगदीश वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1077 / 0.20 है0 किस्म गै0मु0 नाला मेंसे 0.20 है0पर जगदीश, गुलाब, रामकरण ,ओमप्रकाश पुत्र मुलचन्द जाति बलाई निवासी दादुका ने बाजरा की फसल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये । गैर सायलान को वास्ते जबाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब पेश नहीं किया ना ही ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सकें। भू–अभिलेख निरीक्षक व राजस्व टीम से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार उक्त खसरा नंबर पर पटवारी हल्का द्वारा की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट यथावत पाई गई तथा पटवारी हल्का से पुनः जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमें खसरा नंबर 1077 / 0.20 है0 किस्म बारानी बताई गई जबकि पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट में किस्म गै0मु0 नला दर्ज की गई थी अतः पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज किस्म गै0मु0नाला के स्थान पर बारानी पढा जाना उचित प्रतित होता है। हमने पटवरी रिर्पोट एवं पत्रावली में सग्लन दस्तावेजो पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायलान द्वारा उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता हैं। , अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायलान जगदीश, गुलाब, रामकरण,ओमप्रकाश पुत्र मुलचन्द जाति बलाई निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1077 / 0.20 है0 किस्म बारानी –3 मे से 0.20है0 पर अतिक्रमी घोषित किया

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .0.40रू. का पचास गुणा 20 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली,फसल निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21 ... के रा० सै० 4
के पृष्ठ संख्या 14 पर 205
दर्ज कायम किये गये।

07/08/20

कोटपूतली